न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

मु.नं. -75/2023

तारीख हुक्म	हुक्म
06.10.2023	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित । वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने की सहमति देते हुये पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये । प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 के विरूद्ध दिनांक 20.06.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र कुमार गौड ने सहमति देते हुये आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है । प्रकरण तकास्मा से संबंधित है । जिसके संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की ओर से विभाजन प्रस्ताव पत्रावली में पेश हुआ है । जिस पर उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जांने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

06/10/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक (अंतिम डिक्री)
75 / 2023	2023 / 159	17.05.2023	06.10.2023

1. गोपेश कुमार पुत्र श्री नारायण उम्र 58 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

— वादी —

बनाम

1. महेश कुमार पुत्र नारायण प्रसाद उम्र 55 वर्ष
2. जगदीश प्रसाद पुत्र नारायण उम्र 52 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी गौशाला के सामने , ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

3. घनश्याम पुत्र भगवानसहाय उम्र 50 वर्ष
4. प्रेम देवी पुत्री भगवानसहाय उम्र 48 वर्ष
5. रामचन्द्र पुत्र भगवानसहाय उम्र 46 वर्ष
6. प्यार देवी पुत्री भगवानसहाय उम्र 44 वर्ष
7. मंगली देवी पत्नी भगवानसहाय उम्र 70 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
8. पटवारी ,पटवार हल्का अजीतगढ
9. उप पंजीयक अजीतगढ
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित : —

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 वादी अभिभाषक।
श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 प्रतिवादीगण 1 ता 2 की ओर से।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से।

06/10/23 दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 277 रकबा 1.91 है0 अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ़ पटवार हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान है। जिसके हिस्सा 2/9 भाग का वादी काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि के हिस्सा 2/9-2/9 भाग की खातेदारी वादी व खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 2 के नाम, हिस्सा 1/15-1/15 भाग की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 3 ता 7 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चली आ रही है। परन्तु मौके पर बंटी हुई है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी एवं पूर्वी दिशा में एल आकार भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे। जिसके तारबंदी व मेडबंदी आदि करके अपने कब्जे काश्त की भूमि की अलग सीमाएं व सीमाचिन्ह कायम कर रखे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के कब्जे काश्त की भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से ए, बी, सी, डी [illegible]ओ से दर्शाया गया है। शेष भूमियो पर प्रतिवादी नम्बर 3 ता 7 काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी ने अपने कब्जे काश्त की भूमि को लाखों रूपये लगाकर उपजाउ एवं उन्नत बनाया है। वर्तमान में जमीनों की बढती किमतों को देखकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के मन में बेईमानी आ गई व इन लोगो की नियत खराब हो गई है तथा ये लोग संयुक्त खातेदारी की आड. में वादी के कब्जे काश्त की भूमि को किसी भी हद तक जाकर हडपना चाहते है एवं उस [illegible] चाह रहे है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 अपने संख्याबल [illegible] उठाते हुये वादी के कब्जा काश्त की भूमि की मेडबंदी ए[illegible]करके अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा हो रहे है तथा वादी प्रतिवादीगण के कब्जे [illegible]श्त में जबरन ताकत के बल पर आमादा हो रहे है। वादी को अपनी भूमि में खेती करने से लठबल मजाहत पैदा करने पर आमादा हो रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

06/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के दम पर रोक रहे है तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करने पर आमादा रहते है। इसी के चलते वादी दिनांक 25.04.2023 को अपने कब्जे काश्त की भूमि में साररांभाल के लिये गये तो प्रतिवादी नम्बर 1 ता 2 ने एकराय होकर वादी को काश्त नही करने दी तथा वादी के कब्जा काश्त में जबरन मजाहमत पैदा करने पर आमादा हो गये । इसके चलते वादी का प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के साथ भी शामिल में काश्त किया जाना संभव नही रहा। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने वादी को एलानियां धमकियां दी कि संयुक्त खातेदारी की आड में तुम्हे तुम्हारे कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करके रहेगे तथा हम हमारा कब्जा करके रहेगे। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि मौके पर बंटी हुई, परन्तु राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चली आ रही है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 वादी एवं तरतीबि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहे। जिसके कारण वादी को काफी सख्त हक तल्फी है । उक्त वर्णित भूमि मौके पर बंटी हुई, परन्तु राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चली आ रही है। जिसके कारण वादी अपने कब्जे काश्त की भूमि का समुचित उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है तथा सरकारी अंनुदान सहायता आदि प्राप्त नही कर पा रहा है तथा नही अपने रहवासी मकान आदि बना पा रहे तथा नही पट्टा आदि प्राप्त कर पा रहा है। बल्कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 से मिलकर अपने संख्याबल के दम पर एवं बाहुबल के दम पर अब वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाह रहे है तथा वादी के कब्जे काश्त में नाजायज एवं अवैध तरीके से मजाहमत पैदा करने पर आमादा हो रहे है। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 को उक्त भूमियो का मौका स्थिति व कब्जे काश्त के अनुसार तकास्मा करवाने, राजस्व रिकोर्ड, नक्शा ट्रेस मे अलग अलग इन्द्राज करवाने का निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 हमेशा समयाभाव बताकर टालमटोल करते रहे है। परन्तु वर्तमान में भूमि की बढती किमती को [illegible] वादी द्वारा लाखो रूपये लगाकर अपने कब्जे काश्त की भूमि को अत्यधिक [illegible] उन्नत कर लेने के कारण प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 7 के मन में बदनियती आ [illegible] तथा उक्त भूमि का मौका स्थिति के अनुसार तकास्मा करवाने के लिए मना करने लग [illegible] है। जिसका प्रतिवादीगण को किसी किस्म का हक सरोकार नही है। वादी उक्त भूमि का तकास्मा करवाने का कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

06/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अधिकारी है। जिसका मौका स्थिति व कब्जे काश्त के अनुसार तकास्मा करके वादी को उसके कब्जा काश्त की भूमि का अलग से काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वर्तमान में जमीनो की किमतो के बढ जाने के कारण एवं वादी द्वारा लाखो रूपये लगाकर एवं मेहनत आदि करके अपनी भूमि को काफी उन्नत एवं उपजाऊ बना लेने से वादी की भूमि बेशकीमती हो जाने से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 के मन मे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि को हडपने के लिए बदनियति आ गई तथा इन्होने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे है एवं वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लगे है तथा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एवं भूमि की शक्ल मौका बदलना चाहते है एवं बिना तकास्मा करवाये अन्य अजनबी व्यक्तियो को बेचान व अन्तरण करने पर आमादा हो रहे है एवं उक्त भूमि पर बिना आवासीय संपरिवर्तन करवाये मकानात आदि का निर्माण करके कृषि भूमि को अकृषि उपयोग लेने पर आमादा हो रहे है। जिसका प्रतिवादीगण को कानूनन कोई हक एवं अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य में सफल हो जावेगे तो वादी को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जान किसी भी सुरत में संभव नही होगा। इसलिये प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दिनांक 25.04.2023 को प्रतिवादी नम्बर 1 ता 2 द्वारा एकराय होकर वादी के कब्जा काश्त की भूमि मे जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा होने, वादी को उसकी भूमि के उपयोग, उपभोग व फसल काश्त से को लठबल के दम पर रोकने, वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत पैदा करने पर आमादा होने, बिना तकास्मा करवाये अन्य दीगर को अन्तरण करने की एलानियां धमकिया देने, उक्त भूमि का तकास्मा करवाने से मना करने एवं कृषि भूमि का बिना अनुमति अकृषि उपयोग करने पर वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना लाजिमी हुआ। ... वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 0.78है0, खसरा नम्बर 276 ... खसरा नम्बर 277 रकबा 1.91है0 अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के मध्य मौके पर कब्जा काश्त अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

06/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

[illegible] किया जाकर वादी के हक हिस्से एवं कब्जा काश्त की 2/9 भाग भूमि का [illegible] काबिज खातेदार घोषित करते हुए वादी का अलग से लगान कायम करते हुये वादी की अलग से जमाबंदी जारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस मे वादी की भूमि का अलग से अंकन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र कुमार गौड ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 की रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने प्रकरण बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण मे पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 ने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने अपने हस्ताक्षर अंकित किये। जिस पर वकील वादी के निवेदन एवं वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति जाहिर करने व मोके पर पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा अनुसार चले आ रहे कब्जे काश्त व राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई । जिस पर वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 20.06.2023 को प्रारम्भिक डिकी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व [illegible] के पत्रांक राम/ न्याया/ स्था/ प– 51/2008/विविध/[illegible] निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिकी जरिये पत्रांक 68[illegible] पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग [illegible] में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

06/10/23
[illegible] सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अ / 2023 / 1804 दिनांक 05.10.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.10.2023 को पेश हुई। वकील वादी की ओर से मिसल तलब प्रार्थना पत्र के साथ शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश हुआ । जिस पर वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री जितेन्द्र कुमार गौड ने उपस्थित होकर उक्त प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर अनापत्ति जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई करने बाबत सहमति देते हुए आदेशिका पर अपने सहमति के हस्ताक्षर किये । वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया गया । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने की सहमति देते हुये पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये । प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 के विरूद्ध दिनांक 20.06.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से उपस्थित वकील श्री जितेन्द्र कुमार गौड ने सहमति देते हुये प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये ।

वकील वादी ने प्रकरण तकास्मा से संबंधित होने एवं इस संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एवं वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई ।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

06/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुरेंजात रिपोर्ट से वकुलाय उभय पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––:: क्रियात्मक आदेश ::––

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुरेंजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 11.08.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है–

जमाबंदी के अनुसार वर्तमान प्रविष्टी :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	236	1. गोपेश कुमार पिता नारायण प्रसाद हि. 2/9 जाति ब्राहम्ण 2. धनश्याम पिता भगवान सहाय जाट हिस्सा 1/15 3. जगदीश प्रसाद पिता नारायण प्रसाद हिस्सा 2/9 जाति ब्राहम्ण 4. प्रेम देवी पुत्री भगवान सहाय जाट हिस्सा 1/15	274 276 277	0.78 0.73 1.91	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

06/10/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

5. मंगली देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय जाट हिस्सा 1/15 6. महेश कुमार पिता नारायण प्रसाद हिस्सा 2/9 जाति ब्राहम्ण 7. रामचंद पिता भगवान सहाय जाति जाट हिस्सा 1/15 8. सुप्यार देवी पुत्री भगवान सहाय जाति जाट हिस्सा 1/15				
योग	किता–3	3.42	–	

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :–

क्र.सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	236(आंशिक)	1. धनश्याम पिता भगवान सहाय जाट हिस्सा 1/5 2. रामचंद पिता भगवान सहाय जाति जाट हिस्सा 1/5 3. प्रेम देवी पुत्री भगवान सहाय जाट हिस्सा 1/5 4. सुप्यार देवी पुत्री भगवान सहाय जाति जाट हिस्सा 1/5 5. मंगली देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय जाट हिस्सा 1/5	276/1 277/1	0.64 0.50	बारानी1 बारानी1	
		योग	किता–2	1.14		
2.	236(आंशिक)	जगदीश प्रसाद पिता नारायण प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा. देह	276/2 277/2	0.09 0.66	बारानी1 बारानी1	
		योग	किता–2	0.75	–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
06/10/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

3.	236(आंशिक)	गापेश कुमार पिता नारायण प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा. देह	274	0.78	बारानी1 बारानी1	
		योग	किता–1	0.78	–	
4.	236(आंशिक)	महेश कुमार पिता नारायण प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा. देह	277/3	0.75	बारानी1	
		योग	किता–1	0.75	–	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी एवं मौका स्थिति के अनुसार भूमि की किस्म अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जरिये भू.अ./2023/1804 दिनांक 05.10.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पंत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

06/10/23

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक **06.10.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:16:15 IST
Reason: SelfAttested

06/10/23

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)